लय उपखण्ड अधिकारी दीगोद बइजलास

शत्रुघ्न सिह गुर्जर आर.ए.एस

मिसल न0	दायरा तिथि	निर्णय दिनाक
2 / 2024	30 / 05 / 2024	19/7/24

कुलवंत सिंह आत्मज कुलदीप सिंह जाति जट सिख निवासी रूघ्घी तहसील दीगोद जिला कोटा

— प्रार्थी

बनाम

1. रणदीप कौर पत्नी कुलवन्त सिंह जाति सिक्ख निवासी रूघ्घी तहसील दीगोद जिला कोटा
2. कंवरी बाई पत्नी देवीलाल जाति लश्करी निवासी छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद,जिला कोटा।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करने बाबत्

अन्तर्गत धारा 212, 136 भू—राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी — श्री ललित किशोर मालव

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि रूघ्घी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में सेटलमेंट जमा बन्दी सम्वत 2024 से 2062 में खाता संख्या 76 में दर्ज खसरा नम्बर 123 रकबा 1.80 है0, खसरा नं0 157 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 158 रकबा 0.49 है0, खसरा नं0 172 रकबा 1.73 है0, खसरा नं0

0.14 है0, खसरा नं0 174 रकबा 0.92 है0, खसरा नं0 175 रकबा 1.38
रा नं0 176 रकबा 1.39 है0, खसरा नं0 187 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0
रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 190 रकबा 0.66 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 9.
है0 आराजी स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में खातेदार रामी बेवा लाल व शान्ति बेटी लाला, हिस्सा 1/4 नारायण, रतना पुत्र कान्हा हिस्सा 1/12, रामकंवरी बेटी कान्हा हिस्सा 1/12, कल्याण आत्मज घॉसी हिस्सा 1/14, बाबू पिसरान मुसम्मात हीरा हिस्सा 1/4 जाति लश्करी निवासी झोपडी गढेपान दर्ज राजस्व रेकार्ड है। उक्त आराजी में खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा किया गया उक्त बंटवारे अनुसार खातेदार गोपाल, हंसराज, पप्पूलाल पुत्र नारायण मनोहर बाई, लछमा बाई, सीमा बाई पुत्रीया नारायण जाति लश्करी देह झोपडिया गढेपान को खसरा नं0 175 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 123 रकबा 0.55 है0, खसरा नं0 175 रकबा 1.38 है0, खसरा नं0 189 रकबा 0.04 है0 कुल किता 4 करबा 2.09 है0 बंटवारे में प्राप्त हुयी है जो इन्तकाल नम्बर 152 दिनांक 05.10.2004 से खातेदारान के नाम पृथक से दर्ज की गयी। खातेदारान द्वारा उक्त आराजी में से खसरा नं0 175 रकबा 1.38 है, खसरा नम्बर 189 रकबा 0.04 है0 आराजी बेचान रूकमणी बाई पत्नी लालचन्द जाति लश्करी निवासी झोपडिया गढेपान को किया जो इंतकाल नम्बर 164 दिनांक 05.09. 2024 से रूकमणी बाई के नाम पृथक से दर्ज किया गया। रूकमणी बाई को रूपयों की जरूरत होने से खसरा नं 175 रकबा 1.38 है0 में से 0.80 है0 पूर्व दिशा की अप्रार्थी कम 2 कंवरी बाई को बेचान कर मौके पर कब्जा सम्भला दिया। जो इंतकाल नम्बर 205 दिनांक 20.06.2007 से कंवरी बाई के नाम से पृथक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया जिसका नक्शा पत्रावली में संलग्न है रूकमणी बाई द्वारा शेष खसरा नं0 175 रकबा 0.58 है0 आराजी का बैचान खातेदार अप्रार्थी कम 1 रणदीप कौर पत्नी कुलवंत सिंह जाति जट सिक्ख के नाम पंजीकृत विकय पत्र से कर दिया जो इंतकाल नम्बर 217 दिनांक 20.05.2008 से दर्ज किया गया। नामान्तकरण नम्बर 367 दिनांक 20.08.2014 से कंवरी बाई पत्नी देवीलाल द्वारा खसरा नम्बर 175 रकबा 0.80 है0 पूर्व दिशा में से रकबा 0.16 है0 पश्चिम दिशा की प्रार्थी को पंजीकृत विकय

न कर दी जिसका राजस्व रेकार्ड में तरमीम नक्शा संलग्न है। नक्शा वर्तमान में सेगरीगेशन के पश्चात ऑन लाईन नक्शे में तरमीम स्थिति निम्न से है, जो संलग्न है। ऑनलाईन नक्शे में तरमीम स्थिति परिवर्तित है जिसे शुद्ध ये जाने हेतु प्रार्थी को जानकारी होने पर तहसीलदार साहब को आवेदन प्रस्तुत किया उक्त आवेदन पर जॉच करने पर जानकारी हुयी कि उक्त नक्शा ट्रेस में एवं मौके पर काबिज अनुसार परिवर्तन है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। मौके पर वास्तविक नक्शा जिस प्रकार से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण काबिज है वह नक्शा ट्रेस के अनुसार होना चाहिए। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के नाम दर्ज खसरा नम्बर 360/175 रकबा 0.16 है0 को मौके के अनुसार नक्शा ट्रेस में दर्शाया जावे एवं अन्य खातेदारान का प्रार्थीगण का नक्शाट्रेस भी मौके के अनुसार दर्शाये जाने का आदेश प्रदान कर तदनुसार परिवर्तन कर नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र जर्ये अधिवक्ता श्री एल0 के0 मालव द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 3 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण कम संख्या 1 तथा 2 ने दिनांक 03.07. 2024 को न्यायालय में हाजा में उपस्थित होकर इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तथा प्रार्थी की प्रार्थना स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थी कम 3 लैण्ड होल्डर (राजस्थान सरकार) की तरफ से तहसीलदार दीगोद द्वारा दिनांक 12.07.2024 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामा0 नं0 367 से खसरा नं0 175 पूर्व रकबा 0.80 है0 में से 0.16 है0 रकबा का नामा0 कुलवन्त सिंह के पक्ष में दर्ज होना स्वीकार है। शेष सिद्ध करने का भार वादी पर है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थना मे उपलब्ध दस्तावेजात,जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी कम 1 व 2 का इकबाली जवाब पेश किया हुआ है। प्रार्थना पत्र में जवाब सरकार मे इंतकाल न. 205 सक 0. 80 है0 भूमि के कवरीबाई के नाम दर्ज होना स्वीकार किया है। नामान्तकरण न. 367 से ख.न. 175 पूर्व रकबा 0.80 है0 मे से 0.16 है0 रकबा का नाम0 कुलवन्त सिह के

होना स्वीकार है। जवाब सरकार है यह भी अंकित किया है कि प्रतिपक्षी 2 को सुना जाना उचित होगा। प्रतिवादी 1 व 2 को आपत्ति नही हो तो ,र को आपत्ति नही है। चूकि पत्रावली में अप्रार्थीगण कम 1 व 2 द्वारा इकबाली ाब पेश किया हुआ है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नक्शा ट्रैस में दुरस्ती करने बाबत् अन्तर्गत धारा 112,136 भू0राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दीगोद को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी के नाम दर्ज खसरा नम्बर 360/175 रकबा 0.16 है0 भूमि को मौके के अनुसार नक्शा ट्रैस में दर्शाया जावे एवं अन्य खातेदारान का प्रार्थीगण का नक्शा ट्रैस भी मौके अनुसार दर्शाया जावे। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय मेंरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19/7/24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

दीगोद